

फूस्या बलाम भीमसेन

र व तारीख
काम जो इस
की तामिल
जारी हुए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>२२-५-१५ पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। वादी फूसिया व प्रतिवादी भीमसेन उपस्थित हैं। लैण्ड होल्डर तहसीलदार उपस्थित हैं। वादी फूसिया व प्रतिवादी भीमसेन ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि आज लोक अदालत की भावना से हम पक्षकारों में राजीनामा हो गया है। वादी अपना दावा वापस लेना चाहता है। वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे। पक्षकारों को सुना गया। वादी ने बिना किसी दबाव या प्रलोभन के अपना दावा वापस लेने की बात कही है। वादा का दावा वापस किए जाने में कोई कानूनी अडचन नहीं है। अतः राजीनामे के अनुसार वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार वादी का दावा विद्वाल में खारिज किया जाता है। पचा डिग्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शमार होकर नम्बर से कम हो एवं काद तकमील दासिल हफ्तार में</p> <p>(सतीश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी कैम्प दिंगोर्या</p> <p>अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी सुब उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी कैम्प दिंगोर्या</p>	<p>पत्रावली ३५</p>

लोक अदालत कैम्प हिंगोल्या

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

गंगापूर सिटी

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) हिंगोल्या

पीठासीन अधिकारी :- मुनिदेव यादव, R.A.S.

फूमिया पुत्र श्रीरामा जाटव, मिर्जापुर उनवान 1. भीमसेन
तहसील गंगापूर सिटी - वादी बनाम 2. प्रकाश
3. गजानन्द
दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा 4. शिवनारायण
5. दहगन
6. सरकार जरिस तहसीलदार गंगापूर

मुकदमा नम्बर :- 88/2011

निर्णय दिनांक :- 22-5-2015
वादी की ओर से स्वयं वादी की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी भीम

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22-5-2015 को मुनिदेव यादव (नाम पीठासीन अधिकारी)
] mi[k.M vf/kdkjh] उप जिला कलेक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश कि
जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वाजीनामे के अनुसार वादी को
दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है, तदनुसार वादी का
दावा विद्वान में स्वयं क्रिया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर

गई।



(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- हिगोटिया

राजीनामा प्रपत्र

में,

दिनांक 22/5/15

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,

श्रीमान्

बनाम

श्रीमसेन पुत्र रामप्रसाद

प्रकरण संख्या :-

88/2011

अन्तर्गत धारा

53, 188 R.T. Act

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री फूसिया पुत्र दीर्या का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

इस लोक अदालत की सभ में हम पक्षकारों में राजीनामा हो जाने की वजह से उक्त प्रकरण का निवेदन लेना-चढ़ाव करने के इरादे का पक्षकारों के इरादे को जाने

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1.

फूसिया पुत्र दीर्या, जाख

2.

3.

4.

प्रतिवादी पक्ष 1.

श्रीमसेन पुत्र रामप्रसाद, ज.

2.

3.

4.

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
हिगोटिया (संमा०)
हस्ताक्षर
नाम

गंजीबई सरपंच
ग्राम पंचायत हिगोटिया
सं०स० गंगपुर सिटी (संमा०)

गंजीबई सरपंच
ग्राम पंचायत हिगोटिया (संमा०)
पहचानकेती के हस्ताक्षर
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

प्रार्थी/वादी

फूसिया पुत्र दीर्या, जाख, मिजपुर

एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी

श्रीमसेन पुत्र रामप्रसाद

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हसबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य)

(ह० सदस्य)

(ह० सदस्य)

सतीश कुमार शर्मा, एड०
सदस्य

लोक अदालत
गंगपुर सिटी

(ह० सदस्य)

गंजीबई सरपंच
ग्राम पंचायत हिगोटिया (संमा०)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगपुर सिटी

(मुनिदक यादव)
पीठासीन अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी